छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा   नवम् सत्र   अंक-13

रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 2012

(चैत्र-6, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04 एवं 06 से 10 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री रामपुकार सिंह अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 03 एवं 04 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री नंदकुमार पटेल एवं हृदयराम राठिया के स्थान पर डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 17 तारांकित एवं 27 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पृच्छा

प्रश्नकाल समाप्त होते ही श्री धर्मजीत सिंह एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा अनुसूचित जाति के एक युवक की पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत एवं अनुसूचित जाति की बालिका के साथ घटित बलात्कार की घटना का उल्लेख करते हुए शासन की ओर से वक्तव्य की एवं इससे संबंधित स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

3. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - आपने स्थगन की जो सूचना दी है, स्थगन की सूचना में जो विषय आना चाहिये, सूचना एकाधिक विषयों के आधार पर है। पूर्व में भी प्राप्त सूचना अग्राह्य हो चुकी है। माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि स्थगन सूचना में छोटी-छोटी एकाधिक घटनाओं का उल्लेख कर दिया जाना प्रक्रिया एवं ग्राह्यता के योग्य नहीं होता। स्थगन पर्टिकुलर विषय पर आना चाहिए। इस प्रकार स्थगन की सूचना नहीं दी जानी चाहिये। जब बजट पर चर्चा जारी है तब इस प्रकार सूचना देना एवं सदन की कार्यवाही में व्यवधान करना क्या उचित है ? मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राह्य कर दिया है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही आगे चलाने में सहयोग का आग्रह किया।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खंड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के लिए), पटल पर रखा।

5. पृच्छा

माननीय अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े जाने हेतु श्री देवजी पटेल, सदस्य का नाम पुकारा एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि - मैंने स्थगन को अग्राह्य कर दिया है। माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय दिया गया है। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे आगे की कार्यवाही में भाग लें।

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.14 बजे स्थगित की जाकर 12.25 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

6. पृच्छा

कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री अजीत जोगी, सदस्य एवं श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा पुनः स्थगन पर चर्चा कराए जाने एवं वक्तव्य की मांग की गई। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही आगे चलाने में सहयोग का आग्रह किया एवं कथन किया कि इस विषय पर चर्चा के और अवसर भी मिलेंगे, आप सभी सदस्य कार्यवाही को चलाने में सहयोग करें।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े जाने हेतु माननीय सदस्य श्री देवजी पटेल का नाम पुकारा गया। अत्यधिक व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण श्री देवजी पटेल, सदस्य अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पूरी नहीं पढ़ पाये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई। माननीय अध्यक्ष ने पुनः सभी सदस्यों से कार्यवाही चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया।

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.30 बजे स्थगित की जाकर 12.37 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

पुनः कार्यवाही प्रारंभ होते ही प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन पर चर्चा कराए जाने की मांग की गई। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलाने में सहयोग का अनुरोध किया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों को सूचित किया कि आप स्वयं निलंबित हो गये हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य गर्भगृह से बाहर गये।)

7. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे(नेता प्रतिपक्ष), (डॉ.) शक्राजीत नायक, जयसिंह अग्रवाल, अजीत जोगी, डा.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, राजकमल सिंघानिया, चैतराम साहू, कुलदीप सिंह जुनेजा, रुद्र कुमार गुरु, अमितेश शुक्ल, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री लेखराम साहू, गुरुमुख सिंह होरा, बदरूद्दीन कुरैशी, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, भोलाराम साहू, शिवराज सिंह उसारे, लखमा कवासी, भजन सिंह निरंकारी ।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को नियमों की जानकारी होते हुए भी बारंबार गर्भगृह में आने के कारण निलंबन अवधि का निर्धारण पश्चात् विनिश्चित करने की सूचना दी।

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश में चिटफंड कम्पनियों द्वारा जनता के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

9. व्यवस्था एवं निलंबन अवधि का निर्धारण

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - राज्य के वार्षिक आय-व्ययक पर चर्चा जारी है। यह सभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के समय प्रतिपक्ष के सदस्यों की भी उपस्थिति मैं आवश्यक समझता हूं। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि अपने ही बनाए हुए नियमों का गंभीरता से पालन करें। यदा-कदा आवेश में गर्भगृह में आना तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन सोच-समझकर गर्भगृह में निलंबित होने के लिए प्रवेश करना उचित नहीं है। मेरा सदस्यों से आग्रह है कि कृपया नियमों के अनुरूप कार्यवाही के संचालन में सहयोग करें।

मैं निलंबित सदस्यों का निलंबन समाप्त करता हूं। मेरा आग्रह है कि वे आकर कार्यवाही में हिस्सा लें।

10. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री ह्दयराम राठिया, सदस्य (अनुपस्थित) - सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

11. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार श्री सौरभ सिंह, सदस्य की नियम 267-क की सूचना पढ़ी हुई मानी गई।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2012 (क्रमांक 4, सन् 2012)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2012 (क्रमांक 4, सन् 2012) पुरःस्थापित किया।

13. वर्ष 2012-2013 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) श्री राजेश मूणत, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 11, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 21, परिवहन से संबंधित मांग संख्या 36 प्रस्तुत की।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

अनुदान मांग की चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(श्री मोहम्मद अकबर-अनुपस्थित), सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, (डॉ.शिवकुमार डहरिया, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, रुद्र कुमार गुरु, महंत रामसुंदर दास, भजन सिंह निरंकारी, (डॉ.) शक्राजीत नायक, अग्नि चंद्राकर, जयसिंह अग्रवाल-(अनुपस्थित)) सर्वश्री देवजी पटेल, सौरभ सिंह,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नंदकुमार साहू, विरेन्द्र कुमार साहू, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा।

श्री राजेश मूणत, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने वन विभाग से संबंधित मांग संख्या 10 प्रस्तुत की।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

अनुदान मांग की चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री भीमा मंडावी,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू, खेदूराम साहू, फूलचंद सिंह, ब्रम्हानंद, सौरभ सिंह, सेवकराम नेताम, (डॉ.) सुभाऊ कश्यप, दीपक कुमार पटेल,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांग का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 55, समाज कल्याण से संबंधित मांग संख्या 34, खेल एवं युवक कल्याण से संबंधित मांग संख्या 43 प्रस्तुत की।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

14. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय उपाध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक शनिवार, दिनांक 24 मार्च, 2012 में लिये गये निर्णय अनुसार निम्मलिखित विधायी कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

	विधेयक	**निर्धारित समय**
(1)	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012)	30 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2012)	1 घंटा 30 मिनट

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 5.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 27 मार्च, 2012 (चैत्र 7, शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा